—:: कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.) ::—

—:: विविध आदेश ::—

16 NOV 2026

क्रमांक 129 / दो–8–1 / 2001 उज्जैन, दिनांक 16 नवम्बर, 2026

इस न्यायिक जिला स्थापना पर पदस्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशगण के न्यायालय का मेरे द्वारा **वर्ष 2026** का वार्षिक निरीक्षण किया जाना है। अतः आप निम्नानुसार प्रकरण निरीक्षण हेतु तैयार रखें तथा चाहे जाने पर मेरे समक्ष शीघ्र प्रेषित करें :—

क्रं.	प्रकरणों का प्रकार	प्रकरण की संख्या
1	सत्र / विशेष प्रकरण–सबसे पुराना	निराकृत 01
2	साम्पत्तिक वाद–सबसे पुराना	निराकृत 01
3	आपराधिक अपील	निराकृत 01 जो रिमाण्ड की गई हो। यदि रिमाण्ड नहीं हो तो सबसे पुरानी
4	सिविल अपील	निराकृत 01 जो रिमाण्ड की गई हो। यदि रिमाण्ड नहीं हो तो सबसे पुरानी
5	जमानत आवेदन	स्वीकार / अस्वीकार अग्रिम जमानत आवेदन। यदि न हो तो द्वितीय जमानत आवेदन जो स्वीकार किया गया हो–01
6	आपराधिक निगरानी	जो मोशन हियरिंग पर ही निराकृत कर दी गई हो। यदि न की गई हो तो जो सामान्य रूप से निराकृत की गई हो–01
7	विविध साम्पत्तिक प्रकरण	सबसे पुरानी विवादित निराकृत–01
8	क्लेम प्रकरण	निराकृत 01
9	सत्र / विशेष प्रकरण–सबसे पुराना	01 लंबित
10	प्रवर्तन प्रकरण	01 सबसे पुराना लंबित
11	विविध साम्पत्तिक प्रकरण	01 सबसे पुरानी लंबित
12	विविध साम्पत्तिक अपील	01 सबसे पुरानी लंबित

नोट :

1. विशेष न्यायालय में यदि सत्र प्रकरण भी लंबित हो तो विशेष प्रकरण के साथ लंबित सत्र प्रकरण भी प्रेषित किया जाये। यदि न हो तो विशेष प्रकरण निरीक्षण हेतु प्रेषित किया जाये।

2. विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश उनके द्वारा निराकृत किशोर न्याय बोर्ड के प्रकरणों से संबंधित निराकृत अपील भी प्रेषित करें।

3. यदि किसी न्यायाधीश द्वारा शासन के विरूद्ध किसी वाद में डिक्री पारित की गई है अथवा शासन के विरूद्ध एकपक्षीय निषेधाज्ञा जारी की गई हो या शासन के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई हो, निराकृत वाद प्रेषित करें।

16-11-26

(पी.सी. गुप्ता)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)

8905

पृ.क्रमांक..... / दो–8–1 / 2001 उज्जैन, दिनांक नवम्बर, 2026

16 NOV 2026

प्रतिलिपि :—

1. ..... जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश उज्जैन / खाचरौद / नागदा / बड़नगर / तराना / महिदपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
2. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उज्जैन की ओर सूचनार्थ।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)